सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/ATY-3139/JH/199/2025-RU-IV

दिनांक : 16 .06.2026

सेवा मे,

**पुलिस अधीक्षक,**
जिला - दुमका
नया समाहरणालय भवन,
दुमका - 814101, झारखंड,
ई-मेल: sp-dumka@jhpolice.gov.in

विषय: **प्रार्थिनी के साथ हुए तथाकथित बलात्कार के संबंध में- सुश्री मगदालीना बास्की, पिता-श्री सिरिल बास्की, ग्राम-चिरूडीह, पोस्ट-रांगामिशन, थाना-गोपीकान्दर, जिला-दुमका (झारखंड़) का दिनांक 01.10.2025 का अभ्यावेदन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2026 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

16-6-26

**(प्रवीण कुमार सिंह / Praveen Kumar Singh)**
**अवर सचिव/ Under Secretary**
E.mail ID: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

**प्रतिलिपि सूचनार्थ**-:
**सुश्री मगदालीना बास्की,**
पिता- श्री सिरिल बास्की,
ग्राम- चिरुडीह, पो०- राँगामिशन,
थाना- गोपीकान्दर, जिला- दुमका,
झारखण्ड- 814111
Mobile No: 9693504630

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
# National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/ATY-3139/JH/199/2025-RU-IV

अभ्यावेदिका सुश्री मगदालीना बास्की, पिता-श्री सिरिल बास्की, ग्राम-चिरूडीह, पोस्ट-रांगामिशन, थाना-गोपीकान्दर, जिला-दुमका (झारखण्ड) से प्राप्त अभ्यावेदन, प्रार्थिनी के साथ हुए तथाकथित बलात्कार के संबंध में, के प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत ।

सुनवाई की तिथि : 01.06.2026
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार
सुनवाई का स्थान : परिसदन, दुमका, झारखंड

अभ्यावेदिका सुश्री मगदालीना बास्की, पिता-श्री सिरिल बास्की, ग्राम-चिरूडीह, पोस्ट-रांगामिशन, थाना-गोपीकान्दर, जिला-दुमका (झारखण्ड) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि उनके प्रेमी लक्ष्मण मिर्धा, पोस्ट एवं थाना-शिकारीपाड़ा, जिला-दुमका द्वारा उन्हें बहलाने-फुसलाने के उपरांत उनके साथ बलात्कार किया गया। अभ्यावेदिका ने आयोग से अनुरोध किया है कि आरोपी लक्ष्मण मिर्धा के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

2. प्रकरण में आयोग द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पुलिस अधीक्षक, दुमका (झारखण्ड) को नोटिस जारी कर 15 दिवस के भीतर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग के उक्त नोटिस के संदर्भ में संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिवेदन/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात अभ्यावेदक के अनुरोध तथा प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा मामले पर विचार किया गया और सुनवाई हेतु संबंधित पक्षों को बैठक सूचना (Sitting Notice) निर्गत की गई।

3. सुनवाई के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दुमका आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान यह अवगत कराया गया कि प्रकरण के संबंध में संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है तथा मामले की जांच प्रचलित है। चर्चा के क्रम में पीड़िता से घटना, आरोपी की पहचान, घटना की अवधि तथा प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि वह आरोपी को पहचानती है एंव आरोपी कार्य के सिलसिले में बेंगलुरु गया था तथा वहीं उसके और पीड़िता के बीच संपर्क स्थापित हुआ। घटना के समय पीड़िता की आयु को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें आधार कार्ड एवं अन्य अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि का संदर्भ दिया गया। आयोग/सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों द्वारा आयु निर्धारण के लिए आधार कार्ड, विद्यालय अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों, आयु संबंधी दस्तावेजों तथा अन्य प्रासंगिक तथ्यों का समुचित परीक्षण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा जांच को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

आशा लकड़ा

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वरा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. आयोग अनुशंसा करता है कि प्रकरण की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करते हुए पीड़िता की आयु का सत्यापन उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाए। यदि जांच के दौरान पॉक्सो अधिनियम, 2012 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधान


6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free : 1800117777; Website: www.ncst.gov.in

लागू पाए जाते हैं, तो उनके अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही, जांच पूर्ण कर अद्यतन स्थिति एवं अनुपालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया जाए।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi